



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1053]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2015/वैशाख 29, 1937

No. 1053]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2015 /VAISAKHA 29, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2015

का.आ.1335(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन (सड़क स्कन्ध) मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 04.02.1999 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 0.000 कि.मी. से 592.000 कि.मी. (बंगलौर-कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा-14 के प्रावधानों के अनुसरण में, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 75.000 कि.मी. से 189.000 कि.मी. तक (तुमकुर एवं चित्रदुर्ग बाइपास को छोड़कर, तुमकुर-चित्रदुर्ग सेक्शन) के विद्यमान 4 लेन के सेक्शन का डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर छह लेन के विभाजित सड़क मार्ग के विकास करने, उसके प्रचालन और अनुरक्षण हेतु, मैसर्स आइआरबी तुमकुर-चित्रदुर्ग टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आइआरबी कम्प्लेक्स, चांदीवली फार्म, चांदीवली गांव अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400072, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ 16.08.2010 को करार किया है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जो सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे पर आधारित अधिसूचना संख्या का.आ. 1002 (अ), तारीख 5.05.2011 द्वारा रियायतग्राही को शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत किया है।

अब, 6 लेन के तुमकुर बाइपास, जो 13 कि.मी. का एक छोटा-सा खण्ड है, के लिए अलग-से एक टोल प्लाजा होने से बचने के लिए तारीख 16.08.2010 के रियायत करार के एक अनुपूरक करार पर प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच 20.01.2015 को हस्ताक्षर किए गए हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है) जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि रियायतग्राही 13.000 कि.मी. की लम्बाई वाले तुमकुर बाइपास (62.000 कि.मी. से 75.000 कि.मी. तक) के लिए जो छह लेन का बनाए जानेवाली परियोजना के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं था, उक्त करार में निहित शर्तों के अधधीन कारजीवनहल्ली टोल प्लाजा (कर्नाटक राज्य में रा.रा.-4 पर 104.530 कि.मी.) पर अतिरिक्त प्रयोक्ताशुल्क का संग्रहण करेगा और हुई सहमति के अनुसार संग्रहण प्रभार की कटौती करने के पश्चात् तुमकुर बाइपास के लिए अतिरिक्त प्रयोक्ताशुल्क की राशि का प्राधिकरण को भुगतान करेगा:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जो सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिसमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर,

2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 और सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा संशोधन किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि कर्नाटक राज्य में दस करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 62.000 कि.मी. से 75.000 कि.मी. तक (लम्बाई 12.9244 कि.मी.) छह लेन के तुमकुर बाइपास सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) के उपयोग के लिए और संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, कुल लम्बाई 0.0756 कि.मी.) की समकक्ष लम्बाई 0.756 मीटर के लिए नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और प्राधिकरण को उक्त रियायतग्राही के माध्यम से इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से, किन्तु 01.04.2015 से पहले नहीं और तब तक जब तक कि प्राधिकरण रियायतग्राही से अतिरिक्त शुल्क के संग्रहण की इस व्यवस्था को वापस नहीं ले लेता, उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है। इसके पश्चात् प्राधिकरण अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क या संग्रहण कर सकेगा। साथ ही, रियायतग्राही के माध्यम से इस व्यवस्था के कार्यान्वयन में सुगमता की दृष्टि से (जबतक कि प्राधिकरण इस व्यवस्था को वापस नहीं ले लेता) और का.आ. संख्या 1002 (अ), तारीख 05.05.2011 के अनुरूप, 13.000 कि.मी. से तुमकुर बाइपास हेतु प्रयोक्ताशुल्क की दरों का परिकलन निम्नलिखित अपवादों सहित, शुल्क नियम, 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाएगा:

(क) भ्रम से बचने के लिए, जैसा कि शुल्क नियम 2008 (बिना संशोधन के) में उल्लिखित है, वाहनों की श्रेणियों को 5 तक सीमित रखा जाए और तुमकुर बाइपास के लिए 3 धुरी वाले वाणिज्यिक वाहनों की श्रेणी के लिए प्रयोक्ता शुल्क दर को भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम), अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (4-6 धुरी) श्रेणी के बराबर प्रकाशित किया जाए।

(ख) जिले में ही पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए 50% की छूट लागू नहीं होगी क्योंकि रियायतग्राही कारजीवनहल्ली टोल प्लाजा पर केवल तुमकुर बाइपास के लिए यह छूट नहीं दे सका।

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (इएमइ) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

- निम्नलिखित खण्डों के उपयोग के लिए उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित स्थानों पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, ऊपर सारणी 1 में विनिर्दिष्ट आधार दर पर, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान	स्थायी पुल, बाइपास अथवा सुरंग की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		
	नाम और डिजाइन चैनेज	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)
तुमकुर जिले में कारजीवनहल्ली गांव के पास 104.530 कि.मी. पर	तुमकुर बाइपास 62.000 कि.मी. पर प्रारम्भ होकर 75.000 कि.मी. पर मिलते हुए	12.9244	131.81

- उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तुमकुर जिले में कारजीवनहल्ली गांव के पास 104.530 कि.मी. पर	0.0756*	0.756	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* संरचनाओं (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नप्रकार है:

क्रम संख्या	अवस्थान/संरचना का प्रकार	लम्बाई (मीटर)
1.	64.800 कि.मी. पर आर ओ बी	75.600

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015-16 के लिए मासिक पास की दर 230.00 रूपए (दो सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।
4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	50 (पचास) या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जो यांत्रिक वाहन नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन अपने श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। ऐसे अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।
6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
8. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
9. 15.01.2011 की स्थिति अनुसार परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 131.81 करोड़ रूपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा / 13013 / सीओ / 14-15 / जीसी-चित्रदुर्ग / बीओटी]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2015

S.O. 1335 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78 (E) dated 04.02.1999, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 592.000 (Bangalore-Karnataka/Maharashtra Border section) of National Highway No. 4 in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India, (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provisions of section-14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 16.08.2010 with M/s IRB Tumkur-Chitradurga Tollway Pvt. Ltd., having its registered office at IRB Complex, Chandivalli Farm, Chandivalli Village Andheri (East), Mumbai-400072, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for developing, operating & maintaining the existing 4-lane section from km 75.000 to km 189.000 (Tumkur-Chitradurga section excluding Tumkur & Chitradurga Bypass) of the National Highway No. 4 in the State of Karnataka to six-lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis and vide notification no. S.O. 1002(E) dated 05.05.2011, based on National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008, has authorized the Concessionaire to collect and retain the fee.

Now, in order to avoid a separate toll plaza for 6-laned Tumkur bypass which is small stretch of 13 km, a Supplementary Agreement to the Concession Agreement dated 16.08.2010 has been signed between the Authority and the Concessionaire on 20.01.2015 (hereinafter referred to as “the said agreement”) envisaging that the Concessionaire shall collect additional user fee for Tumkur bypass (from km 62.000 to km 75.000) having a length of 13.000 km which was not in the scope of 6-laning project, at Karjeevanahalli (Km 104.530 on NH-4 in the state of Karnataka) toll plaza subject to the terms and conditions contained in the said agreement wherein the Concessionaire shall pay the amount of additional user fee for Tumkur Bypass to the Authority after deducting agreed collection charges;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014 & G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015 (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of six lane Tumkur Bypass section from km 62.000 to km 75.000 (length 12.9244 km) of NH-4 in the State of Karnataka (hereinafter referred to as the “said section”), costing more than Rupees Ten Crore and for 0.756 km equivalent length of structure (having more than 60 m length, aggregate length of 0.0756 km), at the base rates specified in the Table 1 (hereinafter referred to as the “base rate”), on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the Authority to collect the said fee through the said Concessionaire w.e.f. publication of this notification in the Official Gazette but not earlier than 01.04.2015 and till the Authority withdraws this arrangement for collection of additional toll from Concessionaire. Thereafter, the Authority may collect the said fee, either through its officials or through a contractor. Also for ease of implementation of the arrangement through Concessionaire (till the authority withdraws this arrangement) and to be in line with S.O. No. 1002(E) dated 05.05.2011, the user fee rates for 13.000 km of Tumkur bypass shall be calculated as per Fee Rules, 2008 (as amended) with following exemptions:

- To avoid confusion, the categories of vehicles may be restricted to 5 as mentioned in Fee Rules 2008 (without amendments) and the user fee rate of 3-Axle Commercial vehicle category for Tumkur Bypass to be charged at par with HCM, EME or MAV (4-6 axle) category.
- The 50% discount for commercial vehicle registered with in the district shall not be applicable, as the Concessionaire could not provide this discount only for Tumkur Bypass at Karjeevanahalli toll plaza.

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

- The fee levied and collected shall be due and payable for the use of the following stretch at the following location, at the base rate specified in Table-1 above, for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s)	Length and Cost of permanent bridge, bypass or tunnel for which additional fee is payable		
	Name and Design Chainage	Length (in km)	Cost (Rs. in Cr.)
At km 104.530 near Karjeevanahalli village in Tumkur Dist.	Tumkur Bypass taking off at km 62.000 and joining at km 75.000	12.9244	131.81

- In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 104.530 near Karjeevanahalli village in Tumkur Dist.	0.0756*	0.756	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

* The details of structures (> 60m length) are as under:

S. No.	Location/ Type of Structure	Length (m)
1.	ROB at km 64.800	75.600

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred and Thirty only) for the year 2015-16, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	50 (Fifty) or more	One month from date of payment

5. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of Rule 4.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

9. The capital cost of the project is Rupees 131.81 crores as on 15.01.2011. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No.NHAI/ 13013/ CO/ 14-15/ GC-Chitradurga/ BOT]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.